रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2015/माघ 30, 1936
No. 106] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2015/MAGHA 30, 1936

संस्कृति मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 113(अ).—भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की तारीख 17 अक्टूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. संख्या 734 (अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

उप-निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) के पद के संबंध में भर्ती नियम के स्तंभ 11 में प्रतिनियुक्ति से संबंधित मानक टिप्पणी को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) शामिल है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)"।

[फा. सं. 17-55/2011-एम-I (पार्ट)]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th February, 2015

G.S.R. 113.—In notification of the Government of India, Ministry of Culture GSR No. 734(E), dated 17th October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) dated 17th October, 2014, the following correction is made:—

The standard note related to the Deputation in Column 11 of the Recruitment Rules in respect of the post of Deputy Director (Administration and Finance) may be read as under:

"(Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)".

[No. 17-55/2011-M.I(Part)]

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 114(अ).—भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की तारीख 12 अक्टूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. संख्या 579 (अ) तारीख 08 अगस्त, 2014 की अधिसूचना में, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

i. संग्रहाध्यक्ष के पद के संबंध में, शब्द "या" को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) के अंतर्गत भर्ती नियम के स्तंभ 11 के तहत (क) (ii) और (क) (iii) के मध्य जोड़ा जाए ; तथा

ii. उप-संग्रहाध्यक्ष के पद के संबंध में, शब्द "या" को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) के अंतर्गत भर्ती नियम के स्तंभ 11 के तहत (क) (ii) और (क) (iii) के मध्य जोड़ा जाए।

[फा. सं. 17-55/2011-एम-I (पार्ट)]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th February, 2015

G.S.R. 114(E).—In notification of the Government of India, Ministry of Culture GSR No. 579(E), dated 8th August, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) dated 12th October, 2014, the following correction is made :—

(i) In respect of the post of Curator, the term "Or" may be added between (a) (ii) and (a) (iii) under Column No. 11 of the recruitment rules below field of Deputation (including short term contract); and

(ii) In respect of the post of Deputy Curator, the term "Or" may be added between (a) (ii) and (a) (iii) under Column No. 11 of the recruitment rules below field of Deputation (including short term contract).

[F. No. 17-55/2011-M.I(Part)]

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.